7/47

संख्याः- 921 /VI(1)/2013-03(26)/2007

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 25 मार्च, 2013

विषयः-केन्द्र पोषित योजनाओं को पूर्ण करने हेतु अवशेष धनराशि धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-454/2-7-364(उपयोगिता प्रमाण-पत्र)/2012-13, दिनांक 21 मार्च, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित योजनाओं हेतु **₹ 1450.12** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भारत सरकार से प्राप्त धनराशि **₹ 1222.56** लाख का उपयोग कर लिए जाने के फलस्वरूप अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार से प्राप्त होने की प्रत्याशा में **₹ 111.96** लाख **(रूपये एक करोड़ ग्यारह लाख छियानब्बे हजार मात्र)** को व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :- (धनराशि लाख रूपये में)

क0 सं0	योजना का नाम	आगणन की मूल स्वीकृत लागत	उपलब्ध करायी गयी धनराशि 50%	अवशेष धनराशि
	हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनिकीरेती-स्वर्गाश्रम मेगा पर्यटन सर्किट(अवशेष कार्य)			
1	ग0म0वि0नि0 गेस्ट हाउस से रामझूला तक पथ एंव घाट का निर्माण	1067.77	1031.40	36.37
2	हरिद्वार-ऋषिकेश-मुनीकीरेती-स्वर्गाश्रम मेगा सर्किट में अवशेष कार्यो के अन्तर्गत	382.35	191.16	75.59
	योगः-	**1450.12**	**1222.56**	**111.96**

(I) उक्त धनराशि का उपयोग उक्त योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(II) उक्त स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2013 से पूर्व पूर्ण उपयोग कर धनराशि की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) तत्काल भारत सरकार को उपलब्ध कराते हुए प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन के इस विभाग को भी उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(III) उपरोक्तानुसार प्रतिपूर्ति की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होते ही उक्त **₹ 111.96** लाख की धनराशि को राज्य सरकार के राजकोष में जमा कराकर शासन को अवगत कराते हुए रसीद की प्रति शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

(IV) कार्य सम्बन्धित जिला पर्यटक विकास अधिकारी उक्त कार्य का समय-समय पर भौतिक निरीक्षण कर कार्य की भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह शासन को अवगत करायेगें एवं कार्य पूर्ण होने की सूचना व योजना का फोटोग्राफ्स अवश्य शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगा।

(V) कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता की चेकिंग का कार्य उक्त अनुमोदित लागत से कराये जाने के बाद कार्य अनुमोदित आगणन के अनुसार होने की पुष्टि पर ही भुगतान किया जायेगा। यह दायित्व निदेशक पर्यटन का होगा। अतः निदेशक पर्यटन Third party Monitering की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें।

(VI) स्वीकृत की गयी धनराशि का किसी भी दशा में किसी अन्य मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(VII) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

...2

(VIII) उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–5452–पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय–80–सामान्य–104–सम्बर्धन तथा प्रचार–01– केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–02–पर्वतीय क्षेत्र में यात्रा व्यवस्था हेतु आधारभूत सुविधाओं का निर्माण–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–1087/XXVII(2)/2012, दिनांक मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012–13 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी– S13032L0544 द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।

संख्याः– 921 /VI(1)/2013–03(26)/2007, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
4– सम्बन्धित जिला/क्षेत्रीय पर्यटन विकास अधिकारी।
5– सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव।